



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-06.12.2025

विषय:- वरुणा ज़ोन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण, थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा कुल 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के सफेद व पीली धातु के विभिन्न आभूषण, कुल 31,500/- रु0 नगद व चोरी की 01 अदद बाइक बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के कुशल नेतृत्व में “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा वरुणा ज़ोन क्षेत्रांतर्गत चोरी के विभिन्न मुकदमों 01- मु0अ0सं0 0321/2025 धारा-331(4),305(a) बी0एन0एस0, 02- मु0अ0सं0 0303/2025 धारा 331(4),305(a) बी0एन0एस0, 03- मु0अ0सं0 0318/2025 धारा 331(4), 305(a) बी0एन0एस0 व 04- मु0अ0सं0 0322/2025 धारा 331(4),305(a) बी0एन0एस0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि0 वाराणसी व 05- मु0अ0सं0 0545/2025 धारा-331(4),305(a) बी0एन0एस0 थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी एवं 06- मु0अ0सं0 0591/2025 धारा 331(4),305(a) बी0एन0एस0 व 07- मु0अ0सं0 0556/2025 धारा-331(4),305(a) बी0एन0एस0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी तथा 08- मु0अ0सं0 0314/25 धारा 331(4),305(a) बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी व बढ़ोत्तरी धारा 317(2),317(4) बी0एन0एस0 से संबंधित वांछित शातिर कुल 04 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता 1- विक्की बेनवंशी पुत्र संतोष कुमार निवासी- नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, 2- आरिफ उर्फ शाहरुख पुत्र असगर अली उर्फ राजू निवासी- नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, 3- रोहित बेनवंशी पुत्र पंधारी बेनवंशी निवासी- नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी व 4- ललिता उर्फ सपना पत्नी सन्तोष कुमार निवासी- नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि0 वाराणसी को आज दिनांक-06.12.2025 को समय करीब 02.20 बजे गोईठहा रिंग रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के पीली व सफेद धातु के विभिन्न आभूषण, कुल 31,500/- रु0 नगद व 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद कर थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन महोदया द्वारा 25,000/- रु0 पुरस्कार की घोषणा की गयी।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण विक्की बेनवंशी, आरिफ उर्फ शाहरुख व रोहित बेनवंशी ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसे हम तीनों लोगों तथा हमारे एक अन्य साथी ने मिलकर रोहनिया थाना क्षेत्र में भोलेनगर खैरा चक से चोरी किये थे और इसी मोटरसाइकिल से हम लोग रात में घूम कर बन्द पड़े हुए मकान में ताला तोड़कर घर में घुसकर गहने व पैसे चुरा लेते हैं। चोरी किये गये गहनों में से कुछ गहने इस मोटरसाइकिल की टूल बाक्स में रखे हैं तथा अभियुक्त विक्की बेनवंशी ने बताया कि कुछ गहने मेरी माँ

ललिता उर्फ सपना के पास घर पर रखे हैं। जो गहने हम लोग चोरी करते हैं, उसमें से कुछ स्वयं बेंचते हैं तथा कुछ गहने मेरी मां राहगीरों को अपनी मजबूरी बताकर बेंचती है।

अभियुक्ता ललिता उर्फ सपना ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा बेटा विककी बेनवंशी तथा उसके साथी घरों से चोरी कर जो गहने लाते हैं, मैं उसे घूम-घूमकर राहगीरों को तथा भोली-भाली महिलाओं को अपनी मजबूरी बताकर औने-पौने दाम पर बेंच देती हूँ। जिससे घर का खर्चा व भोजन चलता है। चोरी के कुछ गहने व नगद मेरे पास रखे हैं, जिन्हें मैंने कमरे में स्थित टी०वी० के पीछे छुपा कर रखे हैं।

बरामद माल तथा रूपयों के सम्बन्ध में तीनों अभियुक्त ने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि हम तीनों लोगों ने मिलकर दिनांक-26.11.2025 की रात्रि को महालक्ष्मीपुरम कालोनी लमही में एक बन्द घर में ताला तोड़कर कुछ गहने व चाँदी के सिकके तथा कुछ नगद रूपये चोरी किये थे। जिसे हम लोगों ने आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। जो पांच सिकके हमारे पास से आज बरामद हुआ है, वह इसी चोरी के सामान में से बचा हुआ है और बाकी गहने को बेंचकर खाने पीने व जुए में खर्च कर दिया है। फिर दिनांक-27.11.2025 की रात्रि को हम लोगों ने बजरंग नगर कालोनी पहङङ्या में एक बन्द घर में ताला तोड़कर कुछ गहने व 1,45,000 रु० नगद रूपये चोरी किये थे। जिसे हम लोगों ने आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। जो नग जड़ित पीली धातु का हार, एक जोड़ी सफेद धातु का पायल, एक अदद पीली धातु का सफेद नग जड़ित नाक का कील व घर से बरामद 5000/-रु० आज बरामद हुआ है, वह इसी चोरी के सामान में से बचा हुआ है बाकी गहने को बेंचकर खाने पीने व जुए में खर्च कर दिया है। दिनांक-20.11.2025 को हम लोगों ने दशरथ बिहार कालोनी रसूलपुर में एक बन्द घर में ताला तोड़कर कुछ गहने व 15,000 रु० नगद रूपये चोरी किये थे। जिसे हम लोगों ने आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। अभियुक्त विककी बेनवंशी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे पास से बरामद रूपयों में से 8400/-रु० व गहनों में से एक जोड़ी पायल आज बरामद हुआ है, वह इसी चोरी के रूपयों व सामान में से बचा हुआ है बाकी रूपये व गहने बेंचकर खाने पीने व जुए में खर्च कर दिया है। दिनांक-02.12.2025 की रात को हम लोगों ने ओम नगर कालोनी गोइठहां में एक बन्द घर में ताला तोड़कर कुछ गहने व 22,000 रु० नगद रूपये चोरी किये थे। जिसे हम लोगों ने आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। अभियुक्त आरिफ उर्फ शाहरुख उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे पास से बरामद रूपयों में से 9200/-रु० व गहनों में से एक जोड़ी पायल आज बरामद हुआ है, वह इसी चोरी के रूपयों व सामान में से बचा हुआ है बाकी रूपये व गहने बेंचकर खाने पीने व जुए में खर्च कर दिया है। दिनांक- 01.12.2025 की रात को हमने अरिहन्त नगर कालोनी सिंहपुर थाना क्षेत्र सारनाथ में एक बन्द घर में ताला तोड़कर कुछ बर्तन व 40,000 रु० नगद रूपये चोरी किये थे। जिसे हम लोगों ने आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। अभियुक्त रोहित बेनवंशी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे पास से बरामद रूपयों में से 8900/-रु० जो आज बरामद हुआ है, वह इसी चोरी के रूपयों में से बचा हुआ है बाकी रूपये व बर्तन बेंचकर खाने पीने में खर्च कर दिया है। दिनांक- 15/16.11.2025 की रात को डीह बाबा मंदिर के पास थाना क्षेत्र सारनाथ में हम तीनों तथा महताब मिलकर एक बन्द घर में ताला तोड़कर कुछ गहने व 50,000 रु० नगद रूपये चोरी किये थे। जिसमें से बरामद 01 सोने का हार व कान का सोने का 01 जोड़ी झाला व 07 चाँदी का बिछिया व 01 लाल व पीले मोतियों का माला बरामद हुआ है, वह इसी चोरी से सम्बन्धित है। बाकी 50,000/-रूपये व गहने हमारा एक अन्य साथी लेकर फरार हो गया है तथा दिनांक-03.12.2025 को माँ गायत्री धाम कालोनी शिवपुर में एक बन्द घर में हम तीनों ने तथा हमारे साथी ने मिलकर ताला तोड़कर कुछ गहने चोरी किये थे। हमारे पास से जो 02 सोने की अंगूठी, 02 जोड़ी पायल तथा 02 जोड़ी चाँदी की बिछिया आज बरामद हुआ है, वह इसी चोरी के रूपयों में से बचा हुआ है। बाकी गहने हमारा साथी लेकर फरार हो गया है। आज हम लोग इन गहनों को बेचने के लिये ग्राहक के तलाश में थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

1-विक्की बेनवंशी पुत्र संतोष कुमार निवासी- नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, उम्र 20 वर्ष ।
 2-आरिफ उर्फ शाहरूख पुत्र असगर अली उर्फ राजू निवासी- नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, उम्र 19 वर्ष ।

3-रोहित बेनवंशी पुत्र पंधारी बेनवंशी निवासी- नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, उम्र 18 वर्ष ।

4-ललिता उर्फ सपना पत्नी सन्तोष कुमार निवासी- नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि० वाराणसी, उम्र करीब 45 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- गोईठहा रिंग रोड के पास से, आज दिनांक-06.12.2025 को समय करीब 02.20 बजे ।

बरामदगी का विवरण-

1- चोरी के कुल 31,500/- रु० नगद ।

2- चोरी के पीली व सफेद धातु के विभिन्न आभूषण (01 अदद नग जड़ित पीली धातु का हार, 01 अदद पीली धातु का हार, 01 अदद पीली धातु व लाल मोतियों का माला, 02 अदद पीली धातु की अंगूठी, 01 जोड़ी पीली धातु का झाला, 02 अदद पीली धातु का नाक का कील, 04 अदद सफेद धातु की पायल, 11 अदद सफेद धातु का बीछिया, 05 अदद सफेद धातु की विकटोरिया का सिक्का)

3- 01 अदद चोरी की स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल रंग काला वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या-य००५० 65 डी०एल० 2358 बरामद (संबंधित मु०अ०सं०-०३१४/२५ धारा 331(4),305(a) बी०एन०एस० थाना रोहनिया) ।

संबंधित अभियोग/आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 303/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/317(4) बी०एन०एस० थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि० वाराणसी ।

2. मु०अ०सं० 318/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/317(4) बी०एन०एस० थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि० वाराणसी ।

3. मु०अ०सं० 321/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/317(4) बी०एन०एस० थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि० वाराणसी ।

4. मु०अ०सं० 322/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/317(4) बी०एन०एस० थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि० वाराणसी ।

5. मु०अ०सं० 591/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/317(4) बी०एन०एस० थाना सारनाथ कमि० वाराणसी ।

6. मु०अ०सं० 556/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/317(4) बी०एन०एस० थाना सारनाथ कमि० वाराणसी ।

7. मु०अ०सं० 545/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/317(4) बी०एन०एस० थाना शिवपुर कमि० वाराणसी।

8. मु०अ०सं० 314/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/317(4) बी०एन०एस० थाना रोहनिया कमि० वाराणसी ।

उपरोक्त अभियोगों के अतिरिक्त अन्य अपराध-

अभियुक्त विक्की बेनवंशी पुत्र संतोष कुमार निवासी नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी के विरुद्ध-

1- मु०अ०सं० 153/21 धारा 323,504,506 भा०द०वि० थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि० वाराणसी ।


2- मु०अ०सं० 207/25 धारा 305(a),317(2),317(4),331(4) बी०एन०एस० थाना लालपुर पाण्डेयपुर ।

अभियुक्त रोहित बेनवंशी पुत्र पंधारी बेनवंशी निवासी नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी के विरुद्ध-

1- मु0आ0सं0 280/23 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि0 वाराणसी ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, उ0नि0 प्रभाकर सिंह, उ0नि0 महेश मिश्रा, उ0नि0 मानवी शुक्ला, हे0का0 चन्द्रसेन सिंह, का0 मनीष कुमार तिवारी, का0 विशाल प्रसाद, का0 दिवाकर सिंह, का0 शशि कुमार, का0 सुनील कुमार यादव व का0 रविन्द्र कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि0 वाराणसी ।



**सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।**